कार्यालय– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा–निर्देश

कृपया सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण (रा0यो0) योजनान्तर्गत शासनादेश संख्याः 64/2022/1024/सैंतीस–2–2022001(67)/02 दिनांक 06 जुलाई,2022 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनराशि रू0–9.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र संख्याः 809/बजट/29(5)/अनु0–83/12/2022–23 दिनांक 12.07.2022 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त धनराशि रू0–9.40 लाख का आवंटन किया जा चुका है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवंटित धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें:–

1– शासनादेश दिनांक 06 जुलाई,2022 तथा वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 12.07.2022 द्वारा दिय गये निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाय।

2– आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाय।

3– योजना के मानक मद–12, 42 एवं 43, में स्वीकृत धनराशि का व्यय सूकर पालन प्रशिक्षण/डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला से संबंधित फर्नीचर/उपकरण/सामाग्रियों आदि का कय निर्धारित विभागीय कय नीति एवं वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुये किये जाय।

4– योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक किसी प्रकार की क्रय कार्यवाही न की जाये।

5– मानक मद–18 एवं 19 में आवंटित धनराशि से विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार–प्रसार के संबंध में निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन करते हुये व्यय किया जाय।

6– मानक मद–21 छात्रवृत्ति और छात्रवेतन मद में आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति और छात्रवेतन का भुगतान **RTGS/NEFT** के माध्यम से ही किया जाये। किसी भी दशा में नकद भुगतान नही किया जायेगा।

7– 29–अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्याः ए–2–1092/दस– 2011–24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर,2011 के विवरण पत्र **XVII** के बिन्दु संख्या–17 में निहित प्रविधानों एवं निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा अनुरक्षण में कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये उनका आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा उसकी एक प्रमाणित छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जाय। उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों के इतर व्यय करना अनियमितता होगी, योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

(डा0 जीवन दत्त)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।